ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

पत्रांकः ग्रे.नो. / संस्था / 2019 / 79
दिनांक 26. 06.2019

कार्यालय आदेश

प्राधिकरण की 114 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 31.05.2019 में मद संख्या 114 / अनु0–25 में सरकारी / अर्द्ध सरकारी एवं संयुक्त उपक्रमों को विभिन्न किया कलापों / गतिविधियां स्थापित करने हेतु भूमि आवंटन की पूर्व निर्धारित नीति से मुक्त करते हुए निम्नानुसार नियम एवं शर्तो के साथ नीति निर्धारित की जाती हैः–

1. संस्थागत क्षेत्र के उन श्रेणी में जहॉ आवंटन नीलामी प्रक्रिया द्वारा नहीं किया जाता है, उक्त श्रेणी में भूमि आवंटन हेतु आवेदन प्राप्त होने के दो माह के अन्दर आवंटन की कार्यवाही पूर्ण किया जायेगा।
2. शासकीय / अर्द्धशासकीय निकायों / संयुक्त उपक्रमों को आवेदन करने हेतु ओपन एन्डेड स्कीम के अन्तर्गत आवेदन करने की बाध्यता नही होगी।
3. शासकीय / अर्द्धशासकीय निकायों / संयुक्त उपक्रमों के आवंटन हेतु आवंटन समिति द्वारा साक्षात्कार प्रक्रिया का अनुसरण नहीं करना होगा।
4. उक्त शासकीय / अर्द्धशासकीय निकायों / संयुक्त उपक्रमों को उनके मॉग के अनुसार प्रचलित भू–दर पर सीधे आवंटन करने हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी अधिकृत होंगे।

उपरोक्त आदेश प्राधिकरण की 114वीं बोर्ड बैठक दिनांक 31.05.2019 में मद संख्या 114 / अनु0–25 में अनुमोदित प्रस्ताव के कम में जारी किये जा रहे है।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होगें।

21/6/19
(दीप चन्द्र)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपिः

1. स्टाफ ऑफिसर को अध्यक्ष महोदय के संज्ञानार्थ।
2. स्टाफ ऑफिसर को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के संज्ञानार्थ।
3. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (जी) को सूचनार्थ।
4. समस्त विभागाध्यक्ष
5. उप महाप्रबंधक (संस्थागत)

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी